



Neutral Citation No. - 2026:AHC:168427

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 7285 वर्ष 2026

लुकमान

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता	:	रमेश कुमार पांडे
प्रतिपक्षी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता, मोहम्मद शमीम खान, प्रतिभा वोहरा

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश कुमार पांडे, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. मोर्य, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता मोहम्मद शमीम खान के वादधारक मोहम्मद ताहिर और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की अधिवक्ता सुश्री प्रतिभा वोहरा को सुना गया। आज दाखिल किया गया पूरक शपथपत्र अभिलेख में ले लिया गया है।
2. यह जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 624 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 65(1), 351(3) भारतीय न्याय संहिता और धारा 3/4(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, पुलिस स्टेशन मुराद नगर, जिला गाजियाबाद में विचारण के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्परता से दर्ज कराई गई और पीड़िता की चिकित्सा-कानूनी जांच भी तुरंत की गई, हालांकि, उसकी चिकित्सा-कानूनी रिपोर्ट बलात्कार के अपराध का समर्थन नहीं करती है, जबकि आवेदक की भी चिकित्सा-कानूनी जांच की गई है और उसे भी कई चोटें आई हैं, जिनके संबंध में अभियोजन पक्ष

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि धारा 180 और 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दर्ज पीड़िता के अभिकथन में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। यह भी कहा गया है कि पांचवीं कक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार पीड़िता की आयु 13 वर्ष और 8 महीने पाई गई है, हालांकि, हाई स्कूल प्रमाण पत्र या पहले जिस स्कूल में उसने पढ़ाई की थी उसका प्रमाण पत्र नहीं है और उसकी आयु निर्धारण के लिए पीड़िता की कोई रेडियोलॉजिकल जांच भी नहीं की गई है। यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक 8.12.2025 से जेल में दिन काट रहा है और उसका एक मामले का आपराधिक इतिहास है, जिसका आज दाखिल किए गए पूरक शपथपत्र में विधिवत स्पष्टीकरण दिया गया है। अंत में निवेदन किया जाता है कि यदि आवेदक को जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत हेतु प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और यह प्रस्तुत किया है कि पीड़िता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 और 183 के अंतर्गत दर्ज अपने अभिकथन में कहा है कि उसकी उम्र लगभग 14 वर्ष है और आवेदक ने उसके साथ बलात्कार किया है।

5. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की विद्वान अधिवक्ता और साथ ही विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी जमानत हेतु प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन वे उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप के अनुसार, आवेदक ने लगभग 14 वर्षीय पीड़िता के साथ बलात्कार किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 और 183 के अंतर्गत दर्ज पीड़िता के अभिकथन में कई महत्वपूर्ण विरोधाभास प्रतीत होते हैं। पांचवीं कक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार पीड़िता की आयु 13 वर्ष और 8 महीने बताई गई है, जबकि हाई स्कूल का प्रमाण पत्र या पहले जिस विद्यालय में उसने पढ़ाई की थी उसका प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है और न ही उसकी आयु निर्धारण के लिए कोई रेडियोलॉजिकल जांच की गई है। यह भी बताया गया है कि आवेदक को भी कई चोटें आई हैं, जिनके बारे में अभियोजन पक्ष ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। आवेदक 8.12.2025 से जेल में दिन काट रहा है और उसका एक मामले का आपराधिक इतिहास है, जिसका आज दायर किए गए पूरक शपथपत्र में विधिवत स्पष्टीकरण दिया गया है।

7. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों में आपराधिक मामलों के भारी लंबितता होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 2025** एससीसी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



ऑनलाइन एससी 3038 में प्रतिवेदित, मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** 2024 एससीसी ऑनलाइन इलाहाबाद 6765 में प्रतिवेदित, के मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन को **स्वीकार किया जाता है।**

9. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- **लुकमान** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप उसके व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानती, प्रत्येक समान राशि के प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/विवेचना में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

(iv) आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का यह एक आधार होगा।

11. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाए। आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

12. इसके अलावा यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

13. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह **जमानत देने के लिए नीति रणनीति, अंतर्गत संदर्भ: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021, निर्णीत दिनांक 31.01.2023, (2024) 10 एससीसी 685 में प्रतिवेदित किए गए मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इस आदेश**

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से आवेदक को ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के माध्यम से 24 घंटे के भीतर भेजे।

11 अगस्त 2026
अभिषेक

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”